रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 1970/वैशाख 9, 1892

No. 161] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 1970/VAISAKHA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April 1970

S.O. 1619.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II (S.O. 89) dated the 4th January, 1969, namely:—

In Table 3, against the entry "16-Uttar Pradesh" for the entries "(20) Car and (21) Cultivator cutting crop" the entries "(20) Car, (21) Cultivator cutting crop and (22) Horse" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 24th April, 1970.

[No. 56/70-III.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1970

एस० ओ० 1619.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में निर्वाचनआयोग अपनी अधिसूचना सं० 56/69-2(का०आ० 89) तारीख 4 जनवरी, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 3 में, "16 उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि के सामने की "(20) कार तथा (21) फसल काटता हुआ किसान" प्रविष्टियों के स्थान पर "(20) कार, (21) फसल काटता हुआ किसान तथा (22) घोड़ा" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और ये 24 अप्रैल, 1970 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी।

[सं० 56/70-3]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970